



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032024-253394  
CG-DL-E-27032024-253394

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र 7, 1946

No. 219]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2024

सा.का.नि. 233(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट -II में,

(क) प्ररूप आईटीआर-V के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

<p>"प्ररूप आईटीआर- V</p>	<p align="center"><b>भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन प्ररूप</b></p> <p align="center">[जहां आयकर विवरणी के डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल की गई है, किंतु इलेक्ट्रॉनिक रूप में सत्यपित नहीं की गई है] (कृपया आय-कर नियम ,1962 का नियम 12 देखें)</p>		<p>निर्धारण वर्ष <b>2024-25</b></p>
नाम			
पैन		फार्म संख्या	
धारा ... के अधीन फाइल की गई ।		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
<b>सत्यापन</b>			
<p>मैं ..... , ..... का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ मेरे सर्वोत्तम विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना जिसे मेरे द्वारा पावती संख्या... द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सत्य एवं पूर्ण है और वह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।</p> <p>मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस विवरणी को मैं ... अपनी क्षमता के रूप में बना रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को बनाने तथा इसे सत्यापित करने में सक्षम भी हूँ। मेरा स्थाई खाता संख्या .....(पैन) है।</p>			
हस्ताक्षर	→		
प्रस्तुत करने की तारीख		स्रोत आई.पी पता	
सिस्टम सृजित वार कोड/क्यूआर कोड			
<p>अनुदेश:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कृपया आप आधार ओटीपी का प्रयोग करके नेट बैंकिंग लॉगिन के माध्यम से ई-फाइलिंग अकाउंट के लॉगिन अथवा पूर्व में विधिमान्य किए गए बैंक खाते/डीमेट अकाउंट का प्रयोग करके ई.वी.सी सृजित अथवा बैंक एटीएम के माध्यम से सृजित ई.वी.सी. का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित करें अथवा वैकल्पिक रूप से विधिवत हस्ताक्षरित) प्राथमिकता ब्लू इंक में) फार्म आई.टी.आर-V को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा "केंद्रीयकृत संसाधन केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरु-560500" को भेज सकते हैं ।</li> <li>आईटीआर-V फार्म आय-कर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस फार्म आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग अकाउंट में पंजीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी।</li> <li>सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी दायर करने की पावती को आय विवरणी दायर करने की प्रक्रिया के पूरा होने के साक्ष्य के रूप में ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।</li> <li>हस्ताक्षर हेतु प्रदत्त बॉक्स में ही कृपया हस्ताक्षर करें। आईटीआर-V में दिए गए बॉक्स के अलावा कहीं और हस्ताक्षर</li> </ol>			

करना अमान्य है।

5. जब आईटीआर डाटा को इलैक्ट्रानिकी रूप से पारेषित किया जाता है और आईटीआर-V को डाटा के पारेषण से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में डाटा को इलैक्ट्रानिकी रूप से पारेषण करने की तारीख को आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख समझा जाएगा।

6. जब आईटीआर डाटा को इलैक्ट्रानिकी रूप से पारेषित किया जाता है किंतु आईटीआर-V को डाटा पारेषण करने की तीस दिन की समय-सीमा से परे प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में आईटीआर-V को प्रस्तुत करने की तारीख को आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख समझा जाएगा और अधिनियम के अधीन विवरणी विलंब से प्रस्तुत करने परिणाम लागू होंगे

(ख) आईटीआर फार्म-पावती के लिए निम्नलिखित फार्म रखा जाएगा, अर्थात:-

"भारतीय आयकर विवरणी पावती [जहां आयकर विवरणी का डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल किया गया है, और सत्यापित किया गया है] (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)		निर्धारण वर्ष 2024-25	
पैन			
नाम			
पता			
प्रास्थिति		फार्म संख्या	
धारा... के अधीन फाइल किया गया		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
कराधेय	चालू वर्ष कारबार हानि, यदि कोई हो	1	
	कुल आय		
	मैट के अधीन बही लाभ, जहां लागू हो	2	
	मैट के अधीन समायोजित कुल आय, जहां लागू हो	3	
	संदेय निवल कर	4	
	संदेय ब्याज तथा फीस	5	
	संदेय कुल कर ब्याज तथा फीस	6	
	संदत्त कर	7	
	<b>(+)</b> संदेय कर <b>/(-)</b> प्रतिदेय <b>(6-7)</b>	8	
वर्धित आय एवं कर ब्यौरे कर ब्यौरे	धारा 115नघ के अधीन वर्धित आय	9	
	धारा 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त कर	10	
	धारा 115नड के अधीन संदेय ब्याज	11	
	संदेय अतिरिक्त कर और ब्याज	12	

	संदत्त कर और ब्याज	13	
	(+)संदेय कर /(-) प्रतिदेय (12-13)	14	
तारीख .....	को .....	आईटी पते से इलैक्ट्रानिकी रूप से पारेषित आयकर विवरणी	द्वारा सत्यापित की गई.....पैन रखने
वाले.....को.....	..	*पेपर आईटीआर सत्यापन फार्म/ इलैक्ट्रानिक	सत्यापन कोड का प्रयोग करके.....मोड के माध्यम से सृजित किया गया।
सिस्टम सृजित बार कोड/क्यू आर कोड			

**\*जो लागू न हों, उसे काट दें**

**इस पावती को सी.पी.सी.बैंगलूरु को नहीं भेजे।**

[अधिसूचना सं. 37/2024 फा.सं. 370142/7/2024-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव कर नीति और विधान

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 155(अ) तारीख 05 मार्च 2024 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2024

**G.S.R. 233(E).**—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 2024.  
(2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2024.
- In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II,  
(a) for FORM ITR-V, the following FORM shall be substituted, namely: —

<b>"FORM ITR-V</b>	<b><u>INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM</u></b>		<b>Assessment Year</b> <b>2024-25</b>
	[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-7 filed but NOT verified electronically] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)		
<b>Name</b>			
<b>PAN</b>		<b>Form Number</b>	
<b>Filed u/s</b>		<b>e-Filing Acknowledgement Number</b>	
<b>VERIFICATION</b>			
I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return which has been submitted by me <i>vide</i> acknowledgement number is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.			

I further declare that I am making this return in my capacity as \_\_\_\_\_ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_.

Signature 

Date of submission

Source IP address

System Generated Barcode/QR Code

**Instructions:**

1. Please e-verify the electronically transmitted return data using Aadhaar OTP or Login to e-Filing account through Net-Banking login or EVC generated using Pre-Validated Bank Account/ Demat Account or EVC generated through Bank ATM. Alternately, you may send the duly signed (preferably in blue ink) Form ITRV to “Centralised Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500”, by SPEED POST ONLY.
2. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail Id registered in the e-filing account.
3. On successful verification, the return filing acknowledgement can be downloaded from e-Filing portal as a proof of completion of process of filing the return of Income.
4. Please sign only in the box provided for signature. Signature anywhere else other than the box provided can render the ITR V invalid.
5. Where ITR data is electronically transmitted and ITR-V is submitted within 30 days of transmission of data- in such cases the date of transmitting the data electronically shall be considered as the date of furnishing the return of income.
6. Where ITR data is electronically transmitted but ITR-V is submitted beyond the time-limit of 30 days of transmission of data- in such cases the date of ITR-V submission shall be treated as the date of furnishing the return of income and all consequences of late filing of return under the Act shall follow. ”.

(b) for FORM ITR- Ack, the following FORM shall, be substituted, namely: —

<b>“INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT</b> [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)		<b>Assessment Year 2024-25</b>	
<b>PAN</b>			
<b>Name</b>			
<b>Address</b>			
<b>Status</b>		<b>Form Number</b>	
<b>Filed u/s</b>		<b>e-Filing Acknowledgement Number</b>	
<b>Taxable Income and Tax details</b>	<b>Current Year business loss, if any</b>	<b>1</b>	
	<b>Total Income</b>		
	<b>Book Profit under MAT, where applicable</b>	<b>2</b>	
	<b>Adjusted Total Income under AMT, where applicable</b>	<b>3</b>	
	<b>Net tax payable</b>	<b>4</b>	
	<b>Interest and Fee Payable</b>	<b>5</b>	

	<b>Total tax, interest and Fee payable</b>	<b>6</b>	
	<b>Taxes Paid</b>	<b>7</b>	
	<b>(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)</b>	<b>8</b>	
<b>Accreted Income &amp; Tax Detail</b>	<b>Accreted Income as per section 115TD</b>	<b>9</b>	
	<b>Additional Tax payable u/s 115TD</b>	<b>10</b>	
	<b>Interest payable u/s 115TE</b>	<b>11</b>	
	<b>Additional Tax and interest payable</b>	<b>12</b>	
	<b>Tax and interest paid</b>	<b>13</b>	
	<b>(+)Tax Payable /(-)Refundable (12-13)</b>	<b>14</b>	
<b>Income Tax Return electronically transmitted on DD-MM-YYYY 00:00:00 from IP address _____ and verified by _____ having PAN _____ on _____ using *paper ITR-Verification Form /Electronic Verification Code _____ generated through _____ mode</b>			
<b>System Generated Barcode/QR Code</b>			

*\*Strike off whichever is not applicable*

**DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU**".

[Notification No. 37/2024 F.No.370142/7/2024-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy. Tax Policy and Legislation

**Note :** The Income-tax Rules, 1962 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 155(E), dated the 05<sup>th</sup> March 2024.